प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 06-12-2023

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट कर धमकी देने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि तथा 1,800/- रु0 (एक हजार आठ सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/17 धारा 323/504/506/427 भादवि बनाम जहीरुल खां पुत्र लला खां निवासी बहेटा डम्बर थाना कादरचौक जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कादरचौक हे0कां0 रामकिशन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 06-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त मारपाट कर धमकी देने के मामले मे ***दोषसिद्ध अभियुक्त जहीरुल उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323 भादवि मे 300 रुपये अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 427 भादवि मे 300 रुपये अर्थदण्ड व 504 भादवि मे 400 रुपये अर्थदण्ड व 506 भादवि मे 800 रुपये अर्थदण्ड तथा जेल मे बिताई गई अवधि की सजा से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।***

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना कादरचौक हे0कां0 रामकिशन तथा लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा विवेचक उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूं।